


GOVT. OF BIHAR
Registration Excise & Prohibition Deptt.
PATNA BOURN, PATNA

COURT FEE

Authorization No. 2491

प्राप्ति नं. १०००००
०००००

बिहार
रजिस्ट्रेशन
एक्साइज़ &
प्रोहिबिटन डिप्ट



३०- प्रत्यक्ष सर्वोच्च लोक न्यायालय

निर्वाचन क्षेत्र से (निर्वाचन क्षेत्र का नाम) लोक न्यायालय (सुनन का जामी के लिए)
निर्वाचन के लिए रिटेनिंग ऑफिसर के समक्ष अव्यर्थी हारा प्रस्तुत किया जाने वाला शपथ प्राप्ति

भाग-क

मैं लोक न्यायालय द्वारा **पुत्र/पुत्री/पुत्री की राजनीतिक दल
में लोक न्यायालय द्वारा आयु २५ वर्ष, जो लोक न्यायालय द्वारा लोक न्यायालय
कार्ड नं ६१ लोक न्यायालय, भारत - लोक न्यायालय
रेजिस्ट्रेशन नं ५००५०५५ (डाक का
पूरा पता लिखें) का/की निवासी हूं और उपरोक्त निर्वाचन से अव्यर्थी हूं सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करता
हूं/करती हूं शपथ पर निम्नलिखित कथन करता हूं/करती हूं-

(1) मैं लोक न्यायालय (**राजनीतिक दल का नाम) हारा खड़ा

किया गया अव्यर्थी/**एक स्वतंत्र अव्यर्थी के रूप में लड़ रहा है।

(जैसे लालू तू हो उसे काट दे)

(2) मेरा नाम लोक न्यायालय, लोक न्यायालय (निर्वाचन क्षेत्र और राज्य का नाम) में भाग से

लोक न्यायालय के क्रम सं २१२ पर प्रविष्ट है।

(3) मेरा संपर्क टेलीफोन नं. ९९३२२६४३२५ है/है और मेरा ई-गेल आईडी (यदि कोई हो तो) ...

है। Rakeshahmin12@gmail.com



(4) स्थाई लेखा संख्याक (पैन) के ब्यौरे और आय-कर विवरणी फाइल करने की प्रारिथति :

क्रम सं.	नाम	पैन	वित्तीय वर्ष जिसके लिए अंतिम आयकर विवरणी फाइल की गई है।	आयकर विवरणी में उपदर्शित कुल आय (रुपए में)
1.	स्वप्न	CPNPS 3434L	₹३०००	₹३०००
2.	पति या पत्नी	₹३०००	₹३०००	₹३०००
3.	आश्रित-1	₹३०००	₹३०००	₹३०००
4.	आश्रित-2	₹३०००	₹३०००	₹३०००
5.	आश्रित-3	₹३०००	₹३०००	₹३०००

(5) मैं ऐसे किसी लघित मामले में दो वर्ष या अधिक के कारबास से दड़नीय किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त नहीं हूँ जिसमें सक्षम अधिकारिता काले न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

यदि अभिसाक्षी ऐसे किसी अपराध (अपराधों) का / की अभियुक्त है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा/ करेगी :-

(i) निम्नलिखित मामला (मामले) मेरे विरुद्ध लघित है जिसमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दड़नीय किसी अपराध के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किया गया है/ किए गए हैं।

(क)	गामला/प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या/संख्याओं सहित संबंधित पुलिस थाना/जिला/राज्य के पूर्ण ब्यौरे	₹३०००
(ख)	संबंधित अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएं) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए आरोपित किया गया है	₹३०००
(ग)	न्यायालय का नाम, मामला संख्या और सज्जन लेने की तारीख	₹३०००
(घ)	न्यायालय, जिसके (जिनके) द्वारा आरोप (आरोपियों) की विवरणी की गई	₹३०००



(इ)	तारीख (तारीखे) जिनको आरोप विरचित किए गए थे	२५-८
(छ)	क्या सभी या कोई कार्यवाही किसी सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा सेकी गई है/हैं	२५-८

(ii) निम्नलिखित मामला (गांगले) गेरे विरुद्ध लंबित है/हैं जिनमें न्यायालय द्वारा संज्ञान लिया गया है पूर्वोक्त

मदर (i) में वर्णित मामलों से गिन्त:-


(क)	न्यायालय का नाम, गांगला संख्या और संज्ञान लेने के आदेश की तारीख	२५-८
(ख)	उन मामलों के ब्योरे जहां न्यायालय ने संज्ञान लिया है, अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए संज्ञान लिया गया है	२५-८
(ग)	पूर्वोक्त आदेश (आदाखों) के विरुद्ध पुनरीक्षण के लिए फाइल की गई अपील (अपीलों) / आवेदन (आवेदनों) (यदि कोई हो) के ब्योरे	२५-८

(6) मुझे किसी अपराध (अपराधों) (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43)की धारा 8 की उपधारा (1) या उपधारा (2) में निर्दिष्ट या उपधारा (3) के अंतर्गत आने वाले किसी अपराध (अपराधों) से भिन्न, के लिए सिद्धदोष ठहराया गया है/नहीं ठहराया गया है और एक वर्ष या अधिक के लिए कारावास का दंडादेश दिया गया है/नहीं दिया गया है :

यदि अभिसाक्षी उपर्युक्त रूप में सिद्धदोष ठहराया गया और दंडादिष्ट किया गया है तो वह निम्नलिखित जानकारी प्रस्तुत करेगा:

निम्नलिखित मामलों में मुझे सिद्धदोष ठहराया गया है और न्यायालय द्वारा कारावास का दंडादेश दिया गया है :

(क)	उन मामलों के स्थूल अधिनियम (अधिनियमों) की धारा (धाराएँ) और अपराध (अपराधों) का संक्षिप्त विवरण जिसके (जिनके) लिए सिद्धदोष ठहराया गया है।	२५-८
(ख)	न्यायालय (मामलागों) का नाम, गांगला संख्या और आदेश (आदाखों) की तारीख (तारीखें)	२५-८



(७)	अधिरोपित दंड	२५८४
(८)	क्या सिद्धदोष उहराने के आदेश के विरुद्ध कोई अपील फाइल की गई थी/है। यदि हां, तो अपील के बौरे और वर्तमान प्रास्थिति	२५८५

(7) मैं मेरे, मेरे पति या पत्नी और सभी आश्रितों की आस्तियों (जंगम और रथवर आदि) के बौरे नीचे देता हूँ।

अ. जंगम आस्तियों के बौरे :

टिप्पण 1 — संयुक्त स्वामित्व की सीमा को उपदर्शित करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2 — जमा/विनिधान की दशा में रकम, रकम, जमा की तारीख, स्तोम, बैंक/संस्था का नाम और शाखा सहित बौरे दिए जाने हैं।

टिप्पण 3 — सूचीबद्ध कंपनियों के संबंध में वंधपत्रों/शेयर डिवेंचरों का मूल्य स्टॉक एक्सचेंजों में चालू बाजार मूल्य के अनुसार और गैर सूचीबद्ध कंपनियों की दशा में लेखावहियों के अनुसार दिया जाना चाहिए।

टिप्पण 4 — यहां आश्रित का वही अर्थ है जो उसका लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 75क के अधीन स्पष्टीकरण (5) में है।

टिप्पण 5 — रकम सहित बौरे प्रत्येक विनिधान के संबंध में पृथकताया दिए जाने हैं।

क्रम सं	विवरण	रकम	पति या पत्नी	आश्रित - 1	आश्रित - 2	आश्रित - 3
(i)	हाथ में नकारी	२५,६६०	२५८४	२५८४	२५८५	२५८५
(ii)	बैंक खातों में जमा के बौरे (नियत जमा, अवधिक जमा और अन्य सभी प्रकार के जमा जिसमें बचत खाते भी हैं), वित्तीय संस्थाओं, गैर-बैंककारी वित्तीय कंपनियों और सहकारी सोसाइटियों के पास जमा और ऐसे प्रत्येक जमा में रकम	३५६०	२५८५	२५८५	२५८५	२५८५
(iii)	कंपनियों/ पारस्परिक निधियों और अन्य वित्तीय प्रकारों/ डिवेंचरों/ शेयरों, तथा सूचित में विनिधान के बौरे और रकम	३५८५	२५८५	२५८५	२५८५	२५८५



(iv)	राष्ट्रीय बचत योजना, डाक बचत, बीमा पालिसियों गे विनिधान के बौरे और डाकघर या बीमा कंपनी में किन्ही वित्तीय लिखतों में विनिधान और रकम	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
(v)	किसी व्यक्ति या निकाय जिसमें फर्म, कंपनी, न्यास आदि को दिए गए तैयारिक ऋण/अग्रिम और त्रणियों से अन्य प्राप्त तथा रकम	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
(vi)	मोटरयान/वायुयान/याट/पोत (ग्रेक, रजिस्ट्रीकरण संख्या आदि क्रय करने का वर्ष और रकम)	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
(vii)	जेवरात, युलियन और मूल्यवान वस्तु (वस्तुरो) (भार और मूल्य के बौरे)	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
(viii)	कोई अन्य आरितियां जैसे कि दावों/हित का गूल्य	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
(ix)	समय कुल मूल्य	२४,८८०	२५८	२५८	२५८	२५८

आ. स्थावर आस्तियों के बौरे

टिप्पण 1— संयुक्त स्वाभित्व की सीमा को उपर्युक्त करते हुए संयुक्त नाम में आस्तियों का भी विवरण दिया जाना है।

टिप्पण 2— प्रत्येक गूगि या गवन या अपार्टमेंट का इस प्रारूप में पृथकतया वर्णन किया जाना चाहिए।

क्रम सं०	विवरण	स्वयं	पति या पत्नी	आश्रित-१	आश्रित-२	आश्रित-३
(i)	कृषि भूमि की अवैरेश्वरी (अवरिधितिया) संवैधान संख्याक (संख्याएँ)	प्रधार्षी	२५८	२५८	२५८	२५८
	क्षेत्र (एकड़ में कुल माप)	२-४४४	२५८	२५८	२५८	२५८
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	हाँ	२५८	२५८	२५८	२५८
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की राशि रु. ८८	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८
	क्रम के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	२५८	२५८	२५८	२५८	२५८



	विकास, संनिर्भाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार गूल्य	२५-४४८	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(ii)	गैर कृषि भूमि : अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	३८५४४ (३४४)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	५७६	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	हाँ	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास संनिर्भाण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार गूल्य	४८-४४८	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(iii)	वणिकीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	नियित क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्या विरासत में आई संपत्ति है (हां या नहीं)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्वार्जित संपत्ति की दशा में क्रय की तारीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिर्भाण आदि के माध्यम से संपत्ति पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुमानित चालू बाजार गूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(IV)	आदारीय भवन (अपार्टमेंट सहित) अवरिथिति (अवरिथितिया) सर्वेक्षण संख्याक (संख्याएँ)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्षेत्र (वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि



10th April 1981
Survey of India
Serial No. 101444

	निर्णीत दोष (वर्ग फुट में कुल माप)	भूमि	संस्था	भूमि	भूमि	भूमि
	कथा विरासत में आई संपत्ति है (हाँ या नहीं)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	स्थानिक संपत्ति की दशा में क्रय की तरीख	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	क्रय के समय भूमि की लागत (क्रय की दशा में)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	विकास, संनिगण आदि के माध्यम से भूमि पर कोई विनिधान	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	अनुगमित चाल बाजार मूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(V)	अन्य (जैसे कि संपत्ति में हित)	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(VI)	पूर्वान्तर (i) से (v) का कुल चाल बाजार मूल्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि

(8) में, लोक वित्तीय संस्थाओं और सरकार के प्रति दायित्वों/को शोध्यों के ब्यौरे नीचे देता हूँ :-

(टिप्पणि : कृपया बैंक, संस्था, निकाय या व्यष्टिक के नाम और उनमें प्रत्येक के समक्ष रकम के ब्यौरों का पृथक विवरण दे)

क्र० सं०	विवरण	स्वय	पति या पत्नी	आश्रित -1	आश्रित -2	आश्रित -3
(I)	बैंक/वित्तीय संस्था (संस्थाओं को ऋण या शोध्य बैंक या वित्तीय संस्था का नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	पूर्वान्तर वर्णित से भिन्न किनी अन्य व्यष्टिकों, निकाय को ऋण या शोध्य नाम, बकाया, रकम, ऋण की प्रकृति	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	कोई अन्य दायित्व	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
	दायित्वियों का कुल धोग	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि
(II)	सरकारी शोध्य : सरकारी आवास से बरतने वाले विभागों को शोध्य जल आपर्टिंग से बरतने वाले विभागों को शोध्य	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि	भूमि



विद्युत आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
टेलीफोन/मोबाइल आपूर्ति से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
सरकारी परिवहन (वायुयान और हेलिकाप्टर सहित) से बरतने वाले विभाग को शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
आय-कर शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
घनकर शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
सेवाकर शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
नगरपालिका/संपत्ति कर शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
रिक्षायकर शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
कोई अन्य शोध्य	भूम्प	भूला	भूम्प	भूला	भूला
(iii) सभी सरकारी शोध्यों का कुल योग	भूला	भूम्प	भूम्प	भूला	भूला
(iv) क्या कोई अन्य दायित्व विवादाधीन है, यदि हाँ तो अंतर्वलित रकम और उस प्राधिकारी जिसके समक्ष यह लंबित है का वर्णन करें।	भूम्प	भूला	भूला	भूला	भूला

(9) वृत्ति या उपजीविका के बारे :

(क) रख्या.....प्रियंका चौधरी

(ख) पति या पत्नीप्रियंका

(10) मेरी शैक्षिक अर्हता नीचे दिये अनुसार है :-

जैविक - जैविक स्तरीय जैवी - एम.ए.जैवी एवं अक्षर, जारी - 2004 - 240 017.
 प्रृष्ठरजीडीज़ - जैविक स्तरीय जैवी - एम.ए. कॉर्पोरेशन - जारी - 2006 - 240 012.
 जैविकशास्त्र - जैव. जैव. जैव. पट्टा - जैविकशास्त्र (जैविक) पट्टा - 1 - 2014 (पाठी
 (प्रगाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री पाठ्यक्रम के पूर्ण प्रक्रम का उल्लेख करते हुए उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय
 शिक्षा के बारे देते हुए विद्यालय/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और उस वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा
 किया गया था, का व्यौरा दे)



भाग-ख

(11) भाग-क के (1) से (10) तक में दिए गये बौरे का उद्घारण

1	अभ्यर्थी का नाम	श्री/श्रीमती/कुमार चैत्रा अड्डा १०८			
2	डाक का पता	पंचांग, पो. इमारांग पा. चैत्रीडांग खाला - ५			
3	निवासन क्षेत्र की संख्या और नाम तथा राज्य	३०-पटना भृत्य रेक्टर			
4	उस राजनीतिक दल का नाम जिसने अभ्यर्थी को छाड़ा किया है (अन्यथा स्वतंत्र लिखें)	झंझठ			
5	(i) ऐसे लंबित मामलों की कुल संख्या जिनमें दो वर्ष या अधिक के कारबास से दंडनीय अपराधों के लिए न्यायालय द्वारा आरोप विरचित किए गए हैं। (ii) ऐसे मामलों की कुल संख्या जिनमें न्यायालय (न्यायालयों) ने संज्ञान लिया है (उपर गद (i) उल्लिखित मामलों से मिल)	२५४			
6	ऐसे कुल मामलों की संख्या जिनमें सिद्धदोष ठहराया गया एक वर्ष या उससे अधिक के सिए कारबास से और दंडित किया गया है। (लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा ४ की उपधारा (1), उपधारा (2) या उपधारा (3) में निर्दिष्ट अपराधों के सिवाए)	२५८			
7		स्त्री का स्थायी लेखा भ०	वह वर्ष जिसके सिए अंतिम आयकर विवरणी काइल की गई है	कुल दर्शित आय	
	(क) अभ्यर्थी	८९८९५ ८४३४८	२५४	२५४	
	(ख) पति या पत्नी	२५८	२५८	२५८	
	(ग) आश्रित	२५८	२५८	२५८	
8	आस्तियों और दायित्वों के बौरे (रूपये में)				
	विवरण	रुपये	पति या पत्नी	आश्रित-1	आश्रित-2
क	जंगम आस्तियां (कुल मूल्य) १०१.५५	२५,८००	२५८	२५८	२५८



ख	स्थावर आस्तियाँ	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
I.	स्वअर्जित स्थावर संपत्ति की क्रय कीमत	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
II.	क्रय के पश्चात् स्थावर संपत्ति की विकास/संविधान लागत (यदि लागू हो)	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
III.	निम्नलिखित की अनुमानित वर्तमान बाजार कीमत	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
	(क) स्वअर्जित आस्तियाँ (कुल मूल्य) (ख) विरासती आस्तियाँ (कुल मूल्य)	25,00,000	भूमि	वस्त्र	गद्दा	झूला
9	दायित्व	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
10	ऐसे दायित्व जो विवादाधीन है					
(i)	सरकारी शोध्य (कुल)	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला
(ii)	बैंक, वित्तीय संस्थाओं और अन्य से ऋण (कुल)	भूमि	वस्त्र	गद्दा	पक्षी	झूला



11

उच्चतम शैक्षिक अहोता : डॉ०४०८८११५२३८ (भारती)
 एतेंद्रा भुज विश्वविद्यालय, पटना - २०१५ (परी)

(प्रमाणपत्र/डिप्लोमा/डिग्री के पूर्ण प्रलेख का उल्लेख करते हुए, उच्चतम विद्यालय/विश्वविद्यालय शिक्षा, विद्यालय/प्राविद्यालय/विश्वविद्यालय का नाम और वर्ष जिसमें पाठ्यक्रम पूरा किया गया था, का ब्यौरे दें।)

सत्यापन

मैं, उपर उल्लिखित अभिराष्ट्री इसके द्वारा यह सत्यापन और घोषणा करता हूँ कि इस शपथपत्र की विषय—वरसु मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य और सही है, और इसका कोई भाग मिथ्या नहीं है तथा इसमें से कोई भी तात्त्विक तथ्य नहीं छिपाया गया है। मैं यह और घोषणा करता हूँ कि—

(क) मेरे विरुद्ध उपर भाग के और ख की मद 5 और 6 में उल्लिखित दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामलों से मिल कोई दोषसिद्धि का मामला या लंबित मामला नहीं है;

(ख) मेरी पति या पत्नी या मेरे आश्रितों के पास उपर भाग क की मद 7 और 8 तथा भाग ख की मद 8, 9 और 10 में उल्लिखित आस्ति या दायित्व से मिल कोई आस्ति या दायित्व नहीं है।

आज तारीख 26.03.2015 को सत्यापित किया गया।

*I identify the deponent
Signature of L.T.I. who has
affixed in my presence*

रामेश भुजरा सालरी

अभिराष्ट्री

टिप्पण 1. शपथपत्र नीमाकरण फाइल करने के अंतिम दिन को 30 अप्रैल तक फाइल किया जाना चाहिए।

टिप्पण 2. शपथपत्र पर किसी शपथ कगिनर या प्रथम वर्ग मजिस्ट्रेट के समक्ष या किसी नोटरी पब्लिक के समक्ष शपथ ली जानी चाहिए।

टिप्पण 3. किसी स्टार्टर को भरा जाना चाहिए और कोई स्तंभ खाली न छोड़, यदि किसी मद के संबंध में देने के लिए कोई जानकारी नहीं है तो, यथास्थित “शून्य” या “लागू नहीं होता” उल्लिखित किया जाना चाहिए।

टिप्पण 4. शपथपत्र टकित या सुपाद्यरूप से साफ-साफ लिखित होना चाहिए।

टिप्पण - 5 गाननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 13.09.2013 को WP(C) संख्या 121-2008 में रिसर्जेंस इडिया बनाम भारत निर्वाचन आयोग एवं अन्य, के गमाले में अभ्यर्थियों द्वारा अपूर्ण शपथ-पत्र दाखिल किये जाने के संबंध में दिए गये न्याय निर्णय के आलोक में अभ्यर्थी द्वारा शपथ पत्र के सभी स्तंभों को भरा जाना है। कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जा सकता है। शपथ पत्र प्रस्तुत किये जाते समय निर्वाची पदाधिकारी द्वारा यह जाँच कर लिया जाना है कि नाम निर्देशन पत्र के साथ दाखिल किये गये शपथ पत्र के सभी स्तंभ भर लिए गये हैं, अगर ऐसा नहीं किया गया है तो निर्वाची पदाधिकारी, अभ्यर्थी को खाली स्तंभों के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराने हेतु स्मार देंगे। गाननीय न्यायालय का न्याय निर्णय है कि अगर किसी गद में उपलब्ध कराये जाने हेतु कोई जानकारी नहीं है तो 'शून्य' या 'लागू नहीं' या 'जात नहीं' जो उपयुक्त हो, ऐसे स्तंभ में दर्ज किये जायेंगे। उनके द्वारा कोई भी स्तंभ खाली नहीं छोड़ा जाना है। यदि अभ्यर्थी स्मार दिये जाने के बाद भी स्तंभ को भरे जाने में असफल होता है तो नाम निर्देशन पत्र की संवीक्षा के समय नाम निर्देशन पत्र निर्वाची पदाधिकारी द्वारा अखीकृत कर दिये जायेंगे।

टिप्पण-6 शपथ पत्र के पारा 3 में जानकारी गिनतिखित रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

"मेरा दूरभाष सम्पर्क संख्या/संख्याएँ हैं/हैं १२३४५६७८९०५२५

मेरा ई-मेल आईडी० (अगर कोई हो) हैं mailid@domain.in। (१००)

एवं मेरा सोशल मीडिया एकाउंट्स (अगर कोई हो) हैं <https://www.facebook.com/username>)

टिप्पण-7 शपथ पत्र के पारा 8 में वित्तीय संस्थाओं के प्रति दायित्वों में विदेशी बैंकों/संस्थाओं में जगा/निवेश सहित सूचना दें।

